भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1992

उत्तर देने की तारीख- 31.07.2025

आदिवासियों के लिए वन अधिकारों की मान्यता

1992. श्री सुदामा प्रसाद:

श्री अमरा राम:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत है और यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत पट्टे प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों -व्यक्तिगत एवं सामुदायिक की संख्या कितनी है और विगत पाँच वर्षों के दौरान उनमें से कितने आवेदन वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार करने का इरादा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार अवैधता के नाम पर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को बेदखल करने वाले उक्त वन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है;

(ङ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत केरल में लाभार्थियों को वितरित कुल भूमि क्षेत्रफल कितना है और कितने अनुसूचित जनजाति परिवारों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केरल में कोई अड़चन, प्रशासनिक विलंब या कानूनी विवाद की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केरल में वनवासी समुदायों को आजीविका योजनाओं, कल्याणकारी अधिकारों और सामुदायिक संसाधन प्रबंधन तक पहुंच सहित प्रमुख लाभ क्या हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें एफआरए के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्टों की निगरानी करता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मई 2025 तक कुल मिलाकर ग्राम सभा स्तर पर कुल 51,23,104 दावे दायर किए गए हैं, जिनमें 49,11,495 व्यक्तिगत और 2,11,609 सामुदायिक दावे शामिल हैं। इनमें से कुल 25,11,375 (49.02%) अधिकार पत्र वितरित किए गए, जिनमें 23,89,670 व्यक्तिगत और 1,21,705 सामुदायिक अधिकार शामिल

थे। कुल 18,62,056 (36.35%) दावे अस्वीकृत किए गए और 749,673 (14.63%) दावे निपटान हेतु लंबित हैं। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिए गए हैं। हालाँकि, पिछले 5 वर्षों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट - https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध हैं।

(ग): मुख्य सचिवों को रिट याचिका 108/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों को समयबद्ध तरीके से दावों की अस्वीकृति की समीक्षा का कार्य पूरा करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न समीक्षा बैठकों और पत्रों के माध्यम से राज्यों से अनुरोध किया है कि वे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) की बैठकें तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित करें ताकि एफआरए की कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी की जा सके और मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार अस्वीकृत दावों की समीक्षा भी की जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से एफआरए में निहित प्रावधानों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता रहा है कि सभी पात्र दावेदारों को उनके हक के अधिकार प्रदान किए जाएं।

(घ): वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) जबरन बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। एफआरए की धारा 4(5) में प्रावधान है कि अन्यथा प्रावधान के अलावा, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी भी सदस्य को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल किया या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी न हो जाए।पीड़ित व्यक्तियों द्वारा एसडीएलसी और डीएलसी [एफआरए की धारा 6(2) और 6(4)] को याचिका दायर करने का प्रावधान है।वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के उल्लंघन (बेदखली सहित) के संबंध में मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को भेज दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए। वन विभाग के साथ क्षेत्र स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ दिनांक 14.03.2024 और 06.07.2021 को दो संयुक्त परामर्शी भी जारी किए हैं।

(ङ): केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 29,422 लाभार्थियों को 38,794.10 एकड़ भूमि के लिए व्यक्तिगत वन अधिकार दिए गए हैं।

(च): केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केरल में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई कानूनी विवाद, प्रशासनिक देरी या अन्य अड़चनें नहीं हैं।

(छ): वन अधिकार धारकों को विभिन्न योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए, मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) योजना के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए के तहत संभावित क्षेत्र का मानचित्रण, विरासत डेटा और दावा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और निष्पादन के लिए ग्राम सभा को सहायता और एफआरए के तहत निपटान दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दो साल की अवधि के लिए राज्य और जिला/उपखंड स्तर पर समर्पित एफआरए सेल स्थापित करने जैसी कई पहलें की हैं।डीए-जेजीयूए के तहत, मंत्रालय कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की कई योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों की भी सहायता करता है, जहां संबंधित योजना दिशानिर्देशों को लाभार्थी के योगदान को आवश्यकता अनुसार केवल 10% तक सीमित करने के लिए संशोधित किया गया है।

केरल राज्य सरकार के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केरल से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, राज्य और 12 जिलों के स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए 129.89 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी है। इसके अलावा, केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को, जिन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं, राजस्व गांवों में परिवर्तित करें। आजीविका योजनाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं, पीएम-जनमन और डीए-जेजीयूए तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से अन्य राज्य विभागों के सहयोग से या स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुलग्नक

दिनांक 31.05.2025 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए दावों और स्वामित्व विलेखों के वितरण का विवरण, "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" के तहत निपटाए गए दावों, अस्वीकृत दावों और लंबित दावों के ब्यौरे:

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त दावों की संख्या 31.05.2025 तक			वितरित अधिकार पत्रों की संख्या 31.05.2025 तक			अस्वीकृत दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या	प्राप्त दावों के सापेक्ष निपटाए गए दावों का %	लंबित दावों की कुल संख्या
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल				
1	आंध्र प्रदेश	285,098	3,294	288,392	226,651	1,822	228,473	58,410	286,883	99.48%	1,509
2	असम	148,965	6,046	155,011	57,325	1,477	58,802	NA/NR	58,802	37.93%	96,209
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	4,496	4,687	99.81%	9
4	छत्तीसगढ़	890,220	57,259	947,479	481,432	52,636	534,068	406,787	940,855	99.30%	6,624
5	गोवा	9,757	379	10,136	856	15	871	447	1,318	13.00%	8,818
6	गुजरात	183,055	7,187	190,242	98,732	4,792	103,524	2,331	105,855	55.64%	84,387
7	हिमाचल प्रदेश	4,883	683	5,566	662	146	808	54	862	15.49%	4,704
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	28,107	90,077	81.33%	20,679
9	कर्नाटक	288,549	5,940	294,489	14,981	1,345	16,326	253,269	269,595	91.55%	24,894
10	केरल	44,455	1,014	45,469	29,422	282	29,704	12,835	42,539	93.56%	2,930
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	322,407	617,284	98.37%	10,229
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	172,631	380,966	93.11%	28,190
13	ओडिशा	701,148	35,024	736,172	462,067	8,832	470,899	144,636	615,535	83.61%	120,637
14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	65,921	117,687	99.42%	688
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	12,711	29,219	84.28%	5,448
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	94,426	325,882	49.73%	329,367
17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	68,848	196,880	98.09%	3,841
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	70,736	94,166	100.00%	0
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	6,493	6,678	100.00%	0
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	96,587	141,717	99.74%	364
21	जम्मू एवं कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	39,924	45,944	99.68%	146
कुल		**4,911,495**	**211,609**	**5,123,104**	**2,389,670**	**121,705**	**2,511,375**	**1,862,056**	**4,373,431**	**85.37%**	**749,673**

*****